न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस
राजस्व अपील :: 65/2022
जीसीएमएस नम्बर :: 2022/499

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :–
खरताराम पुत्र श्री लकाराम जाति भाट, निवासी ढ़ाबर, तहसील रोहट, जिला पाली (राज.)	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रोहट जिला पाली।	

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– सरकारी पैरोकार उपस्थित।

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– **18.06.2024**

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार रोहट के पत्रावली संख्या 7/2022 में पारित आदेश दिनांक 22.08.2022 के विरूद्ध पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलाण्ट वक्त बहस वकालतन एवं असालतन न्यायालय में अनुपस्थित रहे। सरकारी पैरोकार उपस्थित। अपीलाण्ट वक्त बहस अनुपस्थित होने से प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ने तहसीलदार, रोहट के समक्ष दिनांक 10.08.2022 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि अपीलाण्ट का गैर मुमकिन रास्ते पर बिना इजाजत के कब्जा किया गया है जबकि अपीलाण्ट का कब्जा सड़क की सीमा में नहीं है तथा सड़क के पीछे अन्य व्यक्ति खातेदारी भूमि में काबिज किरायेदार है। तहसीलदार, रोहट ने प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट को नोटिस जारी कर नियमानुसार जारी कर तामील नहीं करवाया जिससे अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है। अधिवक्ता अपीलाण्ट का यह कथन भी रहा कि किसी व्यक्ति को राजकीय भूमि पर अतिक्रमी घोषित करने के पश्चात उसे कब्जे सम्बन्धी साक्ष्य हेतु अवसर दिया जाना चाहिए परन्तु रेस्पोडेण्ट ने मुझे सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया जो विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है।

सरकारी पैरोकार ने अधिवक्ता अपीलाण्ट के अपील मीमो में वर्णित कथनों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि जैर अपील आदेश नियमानुसार व आदेशों को मध्यनजर रखते हुए जारी किया गया है। अतः अपील–अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

प्रकरण में सरकार पैरोकार की श्रवणशुदा बहस एवं पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर मनन करने पर पाया कि प्रकरण में अपीलाण्ट का प्रमुख उज्र यह है कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा एकतरफा निर्णय पारित किया गया। देखने रेकर्ड से यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि बिलानाम है तथा बिलानाम भूमि पर अतिक्रमी के कब्जे को नियमित किये जाने बाबत् कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जैर आराजी की किस्म गैर मुमकिन सड़क जो कदापि नियमन योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व

जिला कलक्टर, पाली

रेकर्ड के अनुसार जेसीबी से उक्त अतिक्रमण को दिनांक 07.10.2022 को हटाया जा चुका है। अतिक्रमित भूमि की किस्म व उक्त भूमि पर अपीलाण्ट के कब्जे को अतिक्रमण मानकर हटाये जाने के अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हम कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते। अतएव अपील–अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **18.06.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली